न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

प्रकरण संख्या : **530/16 (वि.प्रा.पत्र)**

श्री भगवतीलाल पिता पृथ्वीराज अकावत ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली मानसिक दोर्बल्य जरिये संरक्षक कानूनी वारिसान –

1. श्रीमती कान्तादेवी पत्नी भगवतीलाल अकावत ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा हाल 14 सोलकियो की घाटी उदयपुर।
2. श्रीमती राधा पुत्री भगवतीलाल पत्नी तरूण जोशी निवासी चन्देसरा तह. मावली हाल बांसवाडा।
3. श्रीमती पुष्पा पुत्री भगवतीलाल पत्नी राजकुमार शर्मा निवासी चन्देसरा हाल सोलंकियों की घाटी, उदयपुर।
4. श्रीमती कुसुम पुत्री भगवतीलाल पत्नी भानुदत्त पुरोहित निवासी बासंवाडा।
5. श्री नरेन्द्र पुत्र भगवतीलाल अकावत ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा हाल सोलंकियों की घाटी, उदयपुर।
6. श्री राजेन्द्र पिता भगवतीलाल अकावत ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा हाल सोलंकियों की घाटी उदयपुर।

............प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्री ताराचन्द्र पिता सुरजमल अकावत ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
2. श्री महेन्द्र पिता घीसुलाल अकावत ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तह. मावली फौत के बजाय :–

2/1 मन्जु पत्नी महेन्द्र निवासी चन्देसरा तह. मावली।

3. श्री ललित पिता घीसुलाल निवासी चन्देसरा तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित– 1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री आशीष शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी.

मूल वाद सं. 41/09 ताराचन्द्र बनाम भगवतीलाल निर्णय 20.04.2009

–: : निर्णय : :–

दिनांक 10.01.2020

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है – कि प्रार्थीगण भगवतीलाल पिता पृथ्वीराज के कानूनी वारिसान है तथा भगवतीलाल उम्र 80 वर्ष होकर पिछले करीब 15–16 वर्ष से बीमार होकर कौमा में तथा मानसिक रूप से मानसिक दोर्बल्य होकर अचेतन अवस्था

में है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र भगवतीलाल के कानूनी वारिस की ओर से श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं। विपक्षी सं. 1 ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. का प्रार्थीगण के पिता भगवतीलाल व विपक्षी सं. 2/1 के पति महेन्द्र अकावत एवं विपक्षी सं. 4 के विरूद्व पेश किया गया जिसके मुकदमा नम्बर 41/09 वाद हैं। प्रार्थीगण के पिता/पति भगवती, प्रतिवादी सं. 1 विपक्षी सं. 2/1 का पति राजेन्द्रकुमार व विपक्षी सं. 3, 4 क्रमशः वाद पत्र में प्रतिवादी थे।

2. यह कि विपक्षी सं. 1 द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की सम्यक रूप से तामील होना मानकर दिनांक 03.03.2009 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये तथा उसके बाद दिनांक 20.04.2009 को एक पक्षीय निर्णय व डिक्री प्रतिवादीगण के विरूद्व पारित की गई उक्त एक पक्षीय कार्यवाही एवं एक पक्षीय निर्णय व डिक्री से अतुष्ट होकर प्रतिवादी सं. 1 भगवती के विधिक संरक्षक प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर पेश किया जा रहा हैं :–

(क) यह कि कथित वाद पत्र दिनांक 06.02.2009 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उसके बाद दिनांक 03.03.2009 को श्रीमान् न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण जरिये सम्मन से तलब किये गये तथा दिनांक 03.03.2009 को श्रीमान् न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के सम्मनको सम्यक रूप से तामिल होना मानकर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये जबकि प्रतिवादी सं. 1 यानि प्रार्थीगण का पिता/पति भगवतीलाल आज से करीब 15–16 वर्ष से मानसिक रूप से मानसिक दोर्बल्य होकर अचेतन अवस्था में था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 की तामिल को विधिक सम्मत तामिज नहीं मानी जा सकती हैं।

(ख) इस प्रतिवादी सं. 1 की तामिल कुलिन्दा ने तामिल कराकर जो रिपोर्ट श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत की है जो फर्जी होकर वादी/विपक्षी सं. 1 की मिलीभगत बनावटी कराई तथा प्रतिवादी सं. 1 के सम्मन जो रिपोर्ट तामिल कुलिन्दा ने की है जो फर्जी है तथा तामिल कुलिन्दा ने न्यायालय के सम्मन गलत रिपोर्ट की है ऐसी स्थिति प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व पारित एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री कानूनन काबिल निरस्त हैं।

(ग) यह कि न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर प्रतिवादी सं. 1 के जो हस्ताक्षर बता रखे वो भी प्रतिवादी सं. 1 के नहीं होकर फर्जी व कूटरचित है इस तहर प्रतिवादी सं. 1 कथित तामील को विधिक सम्यक तामिल नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व पारित निर्णय व डिक्री काबिल निरस्त योग्य हैं।

3. यह कि कथित निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी दिनांक 25.07.2016 को हुई जब प्रार्थीगण हल्का पटवारी से नकल लेने गई तो हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त जमीन आपके नाम पर नहीं है, यह तो श्री ताराचन्द पिता सुरजमल अकावत, ब्राहम्ण के नाम पर न्यायालय के आदेश से दर्ज हो गई है उसके बाद प्रार्थीगण ने मावली में जाकर अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथाकथित निर्णय एवं डिक्री की नकले निकलवाई उसके बाद दिनांक 01.08.2016 मिली तथा प्रार्थीगण को कथित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई।
4. यह कि प्रार्थीगण को या प्रार्थीगण के पिता कभी भी न्यायालय से कथित प्रकरण बाबत् कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ और न ही प्रार्थीगण उक्त प्रकरण बाबत् किसी प्रकार की कोई जानकारी थी। प्रार्थीगण का पिता जब छः वर्ष का था तब प्रार्थीगण के दादा पृथ्वीराज जी का निधन हो गया था तथा प्रार्थीगण के पिता भगवतीलाल जी छः वर्ष की आयु में ही अपने बडे भाई धीसूलाल जी नागदा के साथ उदयपुर में रह रहे है तथा प्रार्थीगण का जन्म भी उदयपुर में ही हुआ है उक्त विवादित भूमि को सार सम्भाल करने के लिए कभी कभार गांव चन्देसरा आया जाया करते है तथा फसल आदि बोते रहते है इस तरह प्रार्थीगण के पिता की सी.पी.सी. में उपबन्धित प्रावधानों के तहत् तामिल नहीं हुई है और तामिल कुलिन्दा ने सम्मन नोटिस पर गलत अंकन कर तामिल की रिपोर्ट न्याालय में पेश कर दी जबकि पिछले करीब 70 वर्ष से भगवतीलाल व उसका परिवार उदयपुर शहर में ही निवास कर रहे है तामिल कुलिन्दा को सम्मन की चस्पानगी दो गवाहो की उपस्थिति में प्रतिवादी सं. 1 के निवास पर करानी चाहिए थी इस तरह तामिल कुलिन्दा की गलत रिपोर्ट पर माननीय न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय डिक्री एवं निर्णय काबिल निरस्त योग्य हैं।
5. यह कि कथित प्रकरण जायदाद से सम्बन्धित होकर प्रार्थीगण का पिता गत 15-16 वर्ष से कोमा में होकर मानसिक दोर्बल्य अवस्था में होकर अचेतन अवस्था में है उन्होने कभी उक्त वाद में अंकित जमीन को वादी को कभी नहीं बेची तथा वादी जो बिकावनामा बता रहा है जो भी फर्जी होकर कूटरचित है तथा अन स्टाम्पड होकर अनरजिस्टर्ड है इसलिए ऐसे कूटरचित फर्जी अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्राप्त की गई डिक्री भी कानूनन शून्य प्रभावी है ऐसी स्थिति में कथित अवैध व गलत तरीके से प्राप्त की गई डिक्री को प्रार्थीगण अपास्त कराने के अधिकारी हैं।
6. यह कि उक्त निर्णय व डिक्री की प्रार्थीगण को प्रथम बार जानकारी दिनांक 25.07.2016 को हुई जब प्रार्थीगण उक्त खेत पर गये तो विपक्षी सं. 1 ने कहा कि ये जमीन तो हमारे नाम पर हो गई है उसके बाद प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा उसके बाद हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो जानकारी हुई कि उक्त

जमीन विपक्षी सं. 1 के नाम पर हो गई है इस तरह जानकारी से आप न्यायालय में अन्दर अवधि पेश है फिर भी न्यायालय की सुविधा के लिए धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं।

7. अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व पारित एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 03.03.2009 को दो तरफा कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे तथा साथ ही एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2009 को प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व अपास्त फरमाई जावे तथा प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में जवाब दावा, साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर फरमाते हुए उक्त प्रकरण को नये सिरे निर्णित करने का आदेश फरमावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2/1, 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 1 द्वारा पर्याप्त अवसर मिलने पर भी जवाब पेश नहीं करने से जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRT 2006 (1) Page 523 प्रस्तुत कर एक पक्षीय पारित डिक्री दिनांक 20.04.2009 को अपास्त कर मूल वाद को नम्बर पर लेने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीगण को पर्याप्त जानकारी हो गई थी, प्रोपर सम्मन तामील होने के बाद जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। न्यायालय से जो डिक्री जारी की गई है वह सही हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया तथा उपलब्ध पत्रावली एवं मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रकरण में दिनांक 20.04.2009 को निर्णय पारित कर डिक्री जारी की गई है। प्रतिवादी सं. 1 के वारिस प्रार्थीगण द्वारा एकतरफा पारित डिक्री को अपास्त किया जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा. दी. मय धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश किया।

11. सर्वप्रथम हमे यह देखना है कि आदेश 9 नियम 13 जा.दी. में क्या प्रावधान है ? जो निम्न हैं :– **आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी में प्रावधान है कि :– किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी**

उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा। परन्तु जहां डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्ही के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी। परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय या यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।

12. प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 के वारिस प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से मूल वाद में जारी डिक्री को अपास्त करने की प्रार्थना की गई हैं। हमने मूल पत्रावली 41/09 ताराचन्द बनाम भगवतीलाल का अवलोकन किया। मूल वाद वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 188 घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 के रूप में भगवतीलाल को पक्षकार बनाया गया था। उक्त प्रकरण में दिनांक 03.03.2009 को प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये एवं दिनांक 20.04.2009 को निर्णय पारित कर डिक्री पारित की गई। प्रतिवादी सं 1 भगवतीलाल के सम्मन का अवलोकन किया, जिसमें प्रतिवादी का सम्मन गांव चन्देसरा में भिजवाया गया हैं जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि भगवतीलाल जी की उम्र 80 वर्ष होकर करीब 15–16 वर्ष से बीमार होकर कोमा में है एवं मानसिक रूप से मानसिक दोर्बल्य होकर अचेतन अवस्था में होना बताया हैं। प्रार्थीगण द्वारा कथन किया कि भगवतीलाल जी मानसिक रूप से दोर्बल्य होकर 15–16 वर्ष से अचेतन अवस्था में हैं। प्रार्थीगण द्वारा यह भी तर्क दिया कि भगवतीलाल जी 6 वर्ष के थे तब भगवतीलाल जी के पिताजी का देहान्त हो गया व भगवतीलाल जी अपने बडे भाई घीसूलाल जी नागदा के साथ उदयपुर रह रहे हैं। प्रार्थीगणों द्वारा उदयपुर के सही पते पर तामील नहीं करा चन्देसरा में फर्जी तामील कराई गई हैं। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीगणों द्वारा उदयपुर पते का

बिजली बिल, परिवार राशन कार्ड प्रस्तुत किया जिसमें भगवतीलाल जी के निवास का पता 14, सोलकिंयों की घाटी, रावजी का हाटा, वार्ड नम्बर 11 उदयपुर होना जाहिर आया हैं। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि भगवतीलाल जी के निवास उदयपुर में ही रहा हैं। चूंकि विवाद कृषि भूमि से सम्बन्धित बहूमूल्य सम्पति का होने से पक्षकारों के हित निहीत हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. प्रस्तुत किया गया हैं वह न्यायहित में स्वीकार किया जाना आवश्यक हैं क्योंकि भगवतीलाल का 70 सालों से उदयपुर में निवास हैं। ऐसी स्थिति में भगवतीलाल के नाम गांव चन्देसरा में तामील होने के प्रश्न पर सन्देह होना स्पष्ट हैं। इसलिए तामील कार्य में हुई अनियमितता के तथ्य को भी इन्कार नहीं किया जा सकता हैं क्योंकि भगवतीलाल का निवास उदयपुर भी रहा हैं। जिसके दस्तावेज प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर रखे हैं। भगवतीलाल जी की मृत्यु हो चुकी हैं। जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत कर दिया हैं। प्रकरण में भगवतीलाल जी खातेदार थें व भगवतीलाल जी के हित होने से प्रकरण में भगवतीलाल जी को सुना जाना आवश्यक हैं। भगवतीलाल जी की मृत्यु होने से भगवतीलाल जी के सारे हक अधिकार प्रार्थीगणों में निहीत हो गये हैं। इसलिए प्रार्थीगणों को मूल वाद में सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा. दी. का स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 41/09 अनवान ताराचन्द बनाम भगवतीलाल में निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2009 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.06 16:24:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: